

डिक्री व मुकदमा ईददाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या प्रक्रिया संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :- 88/53 आरटीए
प्रकरण संख्या:- 216/2024

1. खुशप्रीत कौर पुत्री तेजा सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. रूपिन्द्र कौर पत्नी तेजा सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. हाकम सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
4. गोविन्द सिंह पुत्र जसवीर सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
5. बलजिन्द्र कौर पत्नी जसवीर सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ वादीगण

बनाम

1. जगसीर सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा संगरिया तहसील संगरिया
3. शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा शनि मन्दिर रोड़ संगरिया
4. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

खुशप्रीत कौर पुत्री गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी प्रतापनगर तहसील संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इन्फिर्मेशन कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री प्रेम भारद्वाज वकील वादीगण मिन जाभिन मुदई श्री विनोद कुमार शर्मा वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 5 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 17 बीजीपी खाता संख्या 239/32 जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 व चक 8 एमजेडी खाता संख्या 45/25 जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 एवं चक 10 एएमपी खाता संख्या 23/13 जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 नहरी मय गै.मु.आराजी मे निम्नानुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है व चक 8 एमजेडी के खाता संख्या 45/25 में मृतक मुखत्यारकौर पत्नि गुरबचन सिंह का नाम कलमजन कर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का खाता निम्नानुसार अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं:-

1. वादी सं. 1 खुशप्रीत कौर व वादी सं. 2 रूपिन्द्र कौर के बहिब कब्जाकाशत एवं हक व हिस्सा की कृषि भूमि:- चक 17 बीजीपी के खाता सं. 239/32 जमाबंदी सं. 2072-75

प.नं.	मु.नं.	किला नं.
154/167	74	9,12/0.253 है. प्र. 11/2/0.063 है. कुल 0.569 है. नहरी कृषि भूमि

चक 8 एमजेडी के खाता सं. 45/25 जमाबंदी सं. 2072-75

प.नं.	मु.नं.	किला नं.
152/182	28	11/2/0.163 है. 12/0.253 है. 19/1/0.149 है. 20/1/0.149 है. कुल 0.714 है. बारानी भूमि

चक 10 एएमपी खाता सं. 23/13 जमाबंदी सं. 2070-73


प.नं.	मु.नं.	किला नं.
153/166	60	23/2/0.1265 है. 24,25/0.506 है. कुल 0.6325 है. नहरी कृषि भूमि

2. वादी सं. 3 हाकम सिंह के कब्जाकाशत एवं हक व हिस्सा की कृषि भूमि:- चक 8 एमजेडी के खाता सं. 45/25 जमाबंदी सं. 2072-75

प.नं.	मु.नं.	किला नं.
152/182	28	21,22/0.506 है. 19/2/0.104 है. 20/2/0.104 है. कुल 0.714 है. बारानी प्रथम भूमि

चक 10 एएमपी खाता सं. 23/13 जमाबंदी सं. 2070-73

प.नं.	मु.नं.	किला नं.
153/166	60	18,21,22/0.759 है. 23/1/0.1265 है. 9/2/0.190 है. कुल 1.0755 है. नहरी कृषि भूमि


सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

3. वादी सं. 4 गोविन्द सिंह व वादी सं. 5 बलजिन्द्र कौर के बहिय कब्जाकाशत एवं हक व हिस्सा की कृषि भूमि:-चक 17 बीजीपी के खाता सं. 239/32 जमाबंदी सं. 2072-75

प.नं.	मु.नं.	किला नं.
154/167	74	1,10/0.506है. 11/1/0.190है. कुल 0.696है. नहरी कृषि भूमि

चक 10 एएमपी खाता सं. 23/13 जमाबंदी सं. 2070-73

प.नं.	मु.नं.	किला नं.
152/166	59	5/1/0.215है. 5/2/0.038है. गै.मु. रास्ता
153/166	60	1/1/0.228है. 1/2/0.025 है. गै.मु. खाला, 10/0.253है. 19/1/0.063है. कुल 0.822है. मय गै.मु. कुल योग 1.518है.

4. प्रतिवादी सं. 1 जगसीर सिंह के कब्जाकाशत एवं हक व हिस्सा की कृषि भूमि चक 17 बीजीपी के खाता सं. 239/32 जमाबंदी सं. 2072-75

प.नं.	मु.नं.	किला नं.
154/168	91	25/0.253 है.
155/169	93	1 ता 5/1.265 है. कुल 1.518है. नहरी कृषि भूमि

नोट:- यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काशतकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

मिज.......... नल.......... मुब्लिक.......... निल.......... बाबत.......... निल 1000..... खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.......... अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 20.2.2025 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलेक्टर एवं
महोदय कोर्ट एच
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया